उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 79/2023–24 दिनांक : 27.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुशील चौहान पुत्र श्री हरी राई सिंह,
आहूजा सिंह कालोनी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुशील चौहान पुत्र श्री हरी राई सिंह की यह शिकायत दिनांक 20.06.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RUOK000009834 (20 किलोवाट व्यवसायिक) का विद्युत संयोजन वर्ष 2016 में कटा दिया था और उसकी पी0डी0 कराकर सभी दस्तावेज विभाग के कार्यालय में जमा करा दिए गये थे। उसके उपरांत प्रार्थी द्वारा कई बार अपनी सिक्योरिटी राशि वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिए गए परन्तु विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत संयोजन से सम्बन्धित सिक्योरिटी राशि को वापस दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 27.09.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि उपखण्ड कार्यालय द्वारा प्रेषित स्थायी विच्छेदन रिपोर्ट के आधार पर

क्रमशः 2.....

स्थाई विच्छेदन कर अंतिम बीजक की गणना कर दी गई है। परिवादी की सिक्योरिटी धनराशि रू0 28276.00 का समायोजन करने के उपरांत रू0 (–) 6629.10 का अंतिम बीजक बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

27/09/23		27/9/2023
(रमेश चन्द्र कुकरेती)	(नवीन चन्द्र तिवारी)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य